


आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
V 24/03/2022	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</u></p> <p style="text-align: center;">सेटलमेंट अपील 157/2012 157</p> <p style="text-align: center;">विजय लाल तामोली बनाम् अनिल कुमार सिंह</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रश्नगत अपील आवेदन दिनांक-05.11.2007 को प्रभारी पदाधिकारी (बंदोबस्त) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। उक्त आदेश में अमीन प्रतिवेदन के आधार पर खाता क्रमांक-24/2014, खेसरा-339/186, रकबा-0.80 डिसमिल प्रतिवादी के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया था। उक्त वाद में प्रतिवादी के गोरखनाथ सिंह का नाम दर्ज है। नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् भी वे निम्न न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा अमीन प्रतिवेदन के आधार पर खतियान में इन्द्रराज हेतु आदेश पारित कर दिया गया। उभयपक्षों के बीच एक Title Suit-485/09 में संचालित हुआ था। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के पूर्व में किये गये बंटवारा के आधार पर सर्वे इन्द्रराज का दावा किया गया है तथा उक्त Title Suit में पक्षकारों के फर्जी होने का दावा किया गया है।</p> <p>इस न्यायालय में आवेदन दायर करने के पश्चात् विगत 10 वर्षों से आवेदक लगातार अनुपस्थित है। दिनांक-18.02.2013 को आवेदक की तरफ से अंतिम बार हाजिरी दी गयी थी, जिसके पश्चात् किसी भी तिथि को वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। Title Suit-485/2009 समझौता के आधार पर निष्पादित किया जा चुका है। उभय पक्षों के बीच धारा-144 का वाद भी संचालित हुआ। जिसमें अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका। उक्त वाद में भी उभयपक्षों के द्वारा एक-दूसरे के कागजातों को जाली बताया गया है। स्पष्टतः यह विषय भूमि के स्वत्व</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>निर्धारण से संबंधित है, जिसका राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता। आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है, अतः इस वाद की कार्रवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्नगत अपील आवेदन खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आवेदक यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकते है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>W. K. Kamran</i> आयुक्त पं०/३/१२</p> <p><i>W. K. Kamran</i> आयुक्त पं०/३/१२</p>	